10

E.S.8151-2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर

R-366-IV/2004

प्रकरण क्रमांक /२००४ निगरानी

श्री एस.के. उपाध्याय - एडवोकेट द्वारा आज दि० 17/2/04 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

17 FEB 2004

बैजनाथ प्रसाद पुत्र रामसिंह,निवासी ग्राम करौल,तहसील मेंहगांव,जिला भिण्ड -- -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। जसवन्त पुत्र श्री जोरवार,निवासी ग्राम करौल,तहसील मेंहगांव,जिला भिण्ड,म०प्र० -- असल प्रतिप्रार्थी

२।मध्यप्रदेश शासन -- तरतीवी प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांक १९-१२-२००३ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्रमांक ४८/२००२-२००३ निगरानी

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय एवम् अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि अपर आयुक्त महोदय एवम् अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था।

(४) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रार्थी द्वारा उनके समक्ष उठाई गई आपत्तियों पर समुचित विचार किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

(५) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने वरिष्ठ न्यायालय के अभिनिर्धारणों पर जिनका उल्लेख विवादित आदेश के पद क्र० ३ में किया गया है, पर कोई विचार ही नहीं किया।

क्रमश: २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 366—दो/04 जिला—भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
15—12—17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इस प्रकरण दिनांक 5.8.16 को अंतिम आदेश पारित हो चुका है। प्रकरण भूल वश चलाया जा रहा है। 2— प्रकरण का अवालेकन किया गया जिसमें तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनांक 5.8.16 को आदेश पारित किया जा चुका है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	